न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी

पीठासीन अधिकारी हँसमुख कुमार (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या–27 / 2026

प्रहलादराम पुत्र खीयाराम जाति विश्नोई निवासी ग्राम श्री बालाजी नगर, तहसील लुणी जिला जोधपुर।

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. श्रीमती कमलादेवी पत्नी दिनेश जाति विश्नोई निवासी ग्राम श्रीबालाजी नगर, तहसील लुणी जिला जोधपुर।
2. श्रीमती मेमादेवी पत्नी श्री रामनिवास जाति विश्नोई निवासी ग्राम श्री बालाजी नगर, तहसील लुणी जिला जोधपुर।
3. श्रीमती लीलादेवी पत्नी फरसाराम, जाति विश्नोई, निवासी ग्राम श्री बालाजी नगर, तहसील लुनी, जिला जोधपुर।
4. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, लुनी, जिला जोधपुर।

.....अप्रार्थीगण

उपस्थित :–

1– प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री सत्यनारायण सिंह।

2– अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री भागीरथ विश्नोई।

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 212 राज.टिनेन्सी एक्ट 1955

–: निर्णय :– दिनांक. 08-6-26

1. प्रार्थीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम श्री बालाजी नगर, गुडा विश्नोईयान तहसील लुनी, जिला जोधपुर के खसरा संख्या 31 रकबा 2.4281 हैक्टर किस्म बारानी प्रथम एवं खसरा संख्या 31/2 रकबा 0.1578 हैक्टर जुमले रकबा 2.5859 हैक्टर एवं खसरा संख्या 31/7 रकबा 0.2214 हैक्टर एवं खसरा संख्या 31/8 रकबा 0.2428 जुमले रकबा 0.4642 हैक्टर भूमि पर कब्जा काश्त कदीमी से निर्विवाद रूप से चली आ रही है। अप्रार्थीगण द्वारा मौके पर खेतों के बीच में बनी कणा मांठ बने हुए है. जिसका सीमा एवं सीमाज्ञान करवाया हुआ है, को तोड़कर दिनांक 16.02.2026 अतिक्रमण का प्रयास किया एवं कब्जा करने पर आमादा है। जिसके कारण प्रार्थी को आये दिन होने वाली परेशानियों से तंग एवं परेशान होकर यह वाद इस माननीय न्यायालय में मजबूरन पेश करना पड़ा है।
2. प्रार्थना पत्र दिनांक 20.02.2026 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी करते हुए अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी तारीख पेशी तक इस अमल की जारी की जाती है कि ग्राम श्री बालाजी नगर, गुड़ा विश्नोईयान के खसरा नम्बर 31, 31/2 में बनी कणा मांठ/ विवादग्रस्तं भूमि के राजस्व रेकर्ड एवं मौके की यथास्थिति कायम रखी जावे।
3. अप्रार्थीगण द्वारा अपने जवाब में कथन किया की प्रार्थी द्वारा दायर प्रार्थना पत्र तथ्यहीन, भ्रमित करने वाला एवं प्रतिवादीगण की खरीदसुदा, तरमीमसुदा, स्वामित्वसुदा, वास्तविक स्थिति को विकृत रूप में प्रस्तुत किया है । अप्रार्थीगण ने प्रार्थी की खातेदारी भूमि में जबरन प्रवेश कर कणा–माठ तोड़ने का प्रयास किया है तथा प्रार्थी ही उक्त भूमि पर एकमात्र काबिज है पूर्णतः असत्य है। अप्रार्थीगण अपनी–अपनी खातेदारी भूमि पर वैधानिक रूप से काबिज हैं और प्रार्थी की भूमि में किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं की गई है। दिनांक 15.02.2026 को प्रार्थी द्वारा प्राईवेट सर्वेयर को बुलाकर प्रार्थी व अप्रार्थीगण की उपस्थिति में दोनों की भूमि का सर्वे द्वारा माप करवाकर संतुष्ठ होने पर प्रार्थी की सहमति से अप्रार्थीगण ने अपनी हक हिस्से की खरीदसुदा भूमि में नीव खोदकर हत्था/दिवार निकालना शुरू किया,का विडियों व फोटों जिसमें प्रार्थी स्वयं उपस्थित हैं, भी दावा जवाब साथ प्रस्तुत है।
4. हमने प्रार्थना पत्र पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। उपस्थित अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया जिसके बाद धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की तीनों आवश्यक बिन्दुओं का निम्न प्रकार प्रार्थना पत्र की विवेचना निर्धारण किया जाता है–

- **प्रथम दृष्टया मामला** :– प्रार्थना पत्र में वर्णित अनुसार प्रार्थी वर्णित विवादित भूमि के रिकार्डेड खातेदार है, के द्वारा कब्जे काश्त में दखल दिये जाने से व्यथित होकर यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। एक खातेदार व कब्जेधारी के हक अधिकार के तहत प्रथमदृष्टया मामला प्रथम पक्षकारान के पक्ष में निर्णीत किया जाता है।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी

- **अपूरणीय क्षतिः–** चूकि प्रार्थी जमाबंदी अनुसार रिकार्डेड खातेदार दर्ज है एवं अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी को बेदखल किये जाने की संभावना के आधार पर अपूरणीय क्षति होना बताया है। चूँकि प्रार्थी द्वारा उक्त आराजी पर अपना कब्जा काश्त लम्बे समय से होना बताया है। उक्त बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में निर्णीत किया जाता है।
- **सुविधा का संतुलनः–** प्रार्थना पत्र अनुसार प्रार्थी वादग्रस्त आराजी के रिकार्डेड खातेदार है एवं अप्रार्थीगण के विरूद्ध ही अस्थायी निषेधाज्ञा चाही गई है जिसका मूल कारण प्रार्थीगण को कब्जे से बेदखल करने की संभावना है। यदि दौराने वाद कब्जे या बेदखली का प्रयास किसी पक्ष द्वारा किया जाता है तो विवाद बढने की संभावना है अतः प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं किये जाने पर पक्षकारान के मध्य आपसी विवाद बढने की पुरी पुरी संभावना है। अतः यह बिन्दु प्रथम पक्षकारान के पक्ष में निर्णीत किया जाता है। प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि में अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार है।

–:आदेशः–

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम श्री बालाजी नगर, पटवार हल्का गुड़ा विश्नोईयान के खसरा नम्बर 31, 31/2 विवादग्रस्त भूमि की माठ की यथास्थिति में अप्रार्थीगण दखलंदाजी नहीं करे। यदि अप्रार्थी व प्रार्थी के मध्य सीमा का कोई विवाद है तो उभयपक्षकारान सीमांकन करवाने को स्वतंत्र है।

(हँसमुख कुमार)
सहायक कलक्टर, लूणी
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर दिनांक 08-G-2026 को हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर, लूणी
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी